

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं


क्रमांक: एफ.1(6)(6)स्था/NTT/ICDS/18/121684

जयपुर,दिनांक:

4-7-18


संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 119901 दिनांक 02-07-2018 के क्र.सं. 18 एवं 19 तथा तथा विभागीय आदेश क्रमांक 119645 के क्र.सं. 02 तथा विभागीय आदेश क्रमांक 119846 दिनांक 02-07-2018 के क्र.सं. 30 को विलोपित किया जाता है।

  
उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: एफ.1(6)(6)स्था/NTT/ICDS/18/121685-700 जयपुर,दिनांक: 4-7-18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
- 3 निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज., जयपुर।
- 4 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रतापगढ/धौलपुर/बारा/अलवर/सीकर।
- 5 बाल विकास परियोजना अधिकारी, छोटीसादडी (प्रतापगढ)/राजाखेडा, बसेडी (धौलपुर)/शाहबाद (बारा)/बानसूर (अलवर)
- 6 संबंधित, पूर्व प्रा0 शि0 अ0, द्वारा बा0वि0परि0अधि0, -----।
- 7 व्यक्तिगत पत्रावली।
- 8 आदेश पत्रावली।

  
उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर।